

1014

[2023] 3 एस. सी. आर. 1014

/

[2023] 3 एस सी आर।

/

अश्विनी कुमार उपाध्याय ईटीसी. वी.

भारत और अन्य का संघ

2020 की स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1249-1250 जनवरी 13, 2023

/

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई और पामिदिघांतम श्री नरसिम्हा, जे।]

स्थानांतरण याचिका-विभिन्न कानूनों में पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में एकरूपता से संबंधित मामले-दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 2019 का डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 8905 सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

/

सिविल मूल आधिकारिता : 2020 की स्थानांतरण याचिका (सिविल) Nos.1249-1250।

उच्चतम न्यायालय नियम 2013 के आदेश XLI के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 139A (1) के तहत स्थानांतरण याचिका, दिल्ली उच्च न्यायालय अंतर्गत लंबित 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.8905 और राजस्थान, जोधपुर के उच्च न्यायालय अंतर्गत लंबित 2019 की D. B. सिविल रिट याचिका No.13784 के हस्तांतरण की मांग।

/

राजशेखर राव, वरिष्ठ अधिवक्ता। (न्यायमित्र), अरीब अमानुल्लाह, सुश्री मानसी सूद, सुश्री जेहरा खान, अधिवक्ता।

/

तुषार मेहता, एस. जी., सूर्यप्रकाश वी. राजू, ए. एस. जी., सुश्री सोनिया माथुर, डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, शिल्प अग्रवाल, सुश्री सौम्या कपूर, सुश्री रश्मि सिंघानिया, सुश्री अंकिता चौधरी, प्रणीत प्रणव, सुश्री वंदना शर्मा, रजत नायर, श्रीमती रुह ए हिना दुआ, दिग्विजय दाम, अरविंद कुमार शर्मा, गुरमीत सिंह मक्कर, रुह ए हिंद दुआ, प्रत्यूष श्रीवास्तव, अशोक बसोया, संदीप कुमार झा, अर्पित प्रकाश, विकल्प शर्मा, गौरव अग्रवाल, अधिवक्ता। उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

अश्वनी कुमार दुबे, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

/

आदेश

1. याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 2019 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 8905 और राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सी. डब्ल्यू./13784/2019 को इस न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हैं।

/

1014

1015

अश्विनी कुमार उपाध्याय ईटीसी. वी.भारत और अन्य का संघ

/

2. मुख्य कार्यवाही में उठाया गया मुद्दा विभिन्न कानूनों में पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में एकरूपता से संबंधित है।

3. प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. मनीष सिंघवी का कहना है कि सीडब्ल्यू/13784/2019 को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया है।

/

4. इस पृष्ठभूमि में, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 2019 की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 8905 को इस न्यायालय में स्थानांतरित करके स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा करते हैं।

5. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

/

दिव्या पांडे

स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा किया गया।

/

/

/

/

/